भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3383

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

तमिलनाडु में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) आधारित परियोजनाएं

3383. श्री नवसकनी के. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय और तमिलनाडु के जिला न्यायालयों में मामले का प्रबंधन करने, विधिक अनुसंधान, अनुवाद, प्रतिलेखन और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) आधारित प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) तमिलनाडु में लागू की गई एआई-सक्षम ई-कोर्ट और डिजिटल न्याय पहलों का ब्यौरा क्या है, शामिल न्यायालयों की संख्या कितनी है और आवंटित धनराशि और प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रामनाथपुरम जिले के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को किसी एआई-आधारित न्यायिक पहल के तहत शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को रोकने, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवेदनशील न्यायिक डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से रामनाथपुरम जिले में एआई-सक्षम न्यायिक सेवाओं को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ समन्वय कर राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अधीन, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के तृतीय चरण के अधीन, न्यायिक

दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का उपबंध है।

ई-न्यायालय और अंकीय पहलों यथा ई-प्रकरण प्रस्तुतिकरण(फाइलिंग), एनएसटीईपी, ई-भुगतान आदि, तमिलनाडु राज्य के न्यायालयों में सभी अधिवक्ताओं / मुवक्किलों के लिए सक्रिय हैं।

संचालनात्मक ढांचा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को रोकने, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवेदनशील न्यायिक आंकडे को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधानों को प्रयोग में लाने और भावी उपयोग को शासित करने हेतु, भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों की कार्य संचालन नियमों और नीतियों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

जिला अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम न्यायिक सेवाओं का कार्यान्वयन पूरी तरह से संबंधित उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ परामर्श करके निर्णय लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय और तमिलनाडु राज्य के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसमें रामनाथपुरम जिले के जिला और अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल हैं, में कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आरंभिक परियोजना शुरू नहीं की गई है।
